एम.ए.सी.पी. संख्या २३५/२०१८
१. श्रीमती शशि अहिरवार पत्नी स्व. श्री सुन्दर कुमार गौतम उम्र २६ वर्ष
२. आयुष पुत्र स्व. श्री सुन्दर कुमार गौतम उम्र ६ माह जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती शशि अहिरवार
३. कु. पूनम पुत्री स्व. लक्ष्मण अहिरवार उम्र १९ वर्ष
४. सूरज अहिरवार पुत्र लक्ष्मण उम्र २१ वर्ष
५. मुकेश पुत्र लक्ष्मण उम्र २४ वर्ष
६. श्रीमती सरस्वती अहिरवार पत्नी लक्ष्मण उम्र ५२ वर्ष
नाबालिगान जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती शशि
निवासी पाल कालोनी ग्वालियर रोड सिमरधा झाँसी जिला झाँसी

------याचीगण

प्रति

१. अनीस खां तनय श्री नजीर खान निवासी ७३७ सिविल लाईन वार्ड नं. १ शोभा नगर बीड़ी कालौनी दवोह म.प्र.

..........मालिक कार सं. एम.पी. ३४ सी ए १९५२

२. राजेश यादव पुत्र हरीश चन्द यादव निवासी मुकेश कालौनी सिविल लाईन वार्ड नं. ६ दमोह म.प्र.

.........चालक कार सं. एम.पी. ३४ सी ए १९५२

३. दि ओरिएण्टल इश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये शाखा प्रबंधक सीता होटल के पीछे सिविल लाईन झाँसी

..........बीमाकर्ता कार सं. एम.पी. ३४ सी ए १९५२

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री शमीम खान
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री संजय कंचन

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि ओरिएण्टल इश्योरेन्स कम्पनी लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण द्वारा श्री सुन्दर कुमार गौतम पुत्र श्री लक्ष्मण की मोटर दुर्घटना मे मृत्यु पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३६बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३६बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा विगत नियत दिनाँक को तस्दीक किया जा चुका है। ३६बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६,५०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३६बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ३२बी में दर्शित कुल ₹ ६,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि ओरिएण्टल इश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ६,५०,००० (छैः लाख पचास हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB०३६७१०० में आर.टी. जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अंतरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh @up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण सं. १ श्रीमती शशि अहिरवार मृतक की पत्नी, याची सं. २ आयुष मृतक का अवयस्क पुत्र, याची सं. ३ बहन, याची सं. ४ सूरज व याची सं. ५ मुकेश भाई तथा याचिया सं. ६ माँ हैं। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची स. १, २, ३, ४, ५ व ६ प्रत्येक क्रमशः ४०, ३५, ५, ५, ५, १० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की उक्त धनराशि में से याची सं. २ आयुष अवयस्क को प्राप्त होने वाली धनराशि उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली योजना में निवेशित किये जायेंगे, जिसकी मय ब्याज समस्त धनराशि वह वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेंगे। याचिया सं. १ व ३ लगायत ६ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि उनके नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:53:49 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal Jhansi